समाहरणालय, मुंगेर।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

पत्रांक......113......./आ0प्र0दिनांक...17-6-014

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रसाद सिंह,
भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, मुंगेर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार-पटना।

विषयः- वर्ष-2014-15 के संभावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ साहाय्य संबंधी अत्यावश्यक अल्पकालीन निविदा का सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस पत्र के साथ अल्पकालीन निविदा की सूचना 5 (पाँच) प्रतियाँ एवं सी0डी0 संलग्न कर इसके साथ भेजी जाती है।

अतः अनुरोध है कि इसका प्रकाशन दो प्रमुख समाचार पत्रों में अविलम्ब कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 17.6.14

समाहर्त्ता, मुंगेर।

ज्ञापांक......113......./आ0प्र0 दिनांक....17-6-014

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-सभी समाहर्त्ता, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार प्रसार करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को बेवसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17.6.14

समाहर्त्ता, मुंगेर।

समाहरणालय, मुंगेर।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्याः– 01 /2014–15

वर्ष 2014 के संभावित बाढ़ के समय प्रभावित परिवारों को साहाय्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराने के लिए अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी। तदनुसार निम्न सामग्रियाँ जिसकी पूर्ण विवरणी अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिए इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबन्द लिफाफा में आमंत्रित की जाती है।

(1) निविदा दाताओं को मो0 10,000/–(दस हजार रूपये) की जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत प्रशाखा मुंगेर में जमा करनी होगी जो जिला पदाधिकारी मुंगेर के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि .8/7/2014. के अपराहन् .2:00. बजे तक होगी। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराहन् .4:00.. बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्रियों की विवरणी

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	पोलेथिन शीट्स	4 मीटर * 5 मीटर (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो (डी0जी0एस0एण्ड डी0 के द्वारा निर्धारित माप दण्ड स्पेसी फिकेसन)
2.	नाव परिचालन संबंधी लॉगबुक		दर प्रति सैकड़ा
3.	प्लास्टिक थैला	5 K.G. एवं 2.5 K.G. का (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगा।
4.	चूड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
5.	चना/दाल मसूर/अरहर/चना/मूंग	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
6.	गुड़ दानेदार सफेद	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
7.	सत्तु चना का	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में होगा।
8.	आयोडाईज्ड	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में होगा।
9.	दिया–सलाई मंझौला साईज	उत्तम किस्म का	प्रति पैकेट 12 की संख्या में होगा।
10.	मोमबत्ती	लम्बाई 8.5", गोलाई 2.5	प्रति पैकेट 6 की संख्या में होगा।
11.	चीनी	मोटा	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
12.	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट चौड़ाई 1.5 फीट	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
13.	लकड़ी जलावन सूखा	–	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
14.	पाव रोटी	200 ग्राम का पाकैट	दर प्रति किलोग्राम में अंकित होगा।
15.	मिनरल वाटर	उत्तम किस्म का	दर प्रति बोतल में अंकित होगा।
16.	आटा उत्तम किस्म	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
17.	सरसों तेल (ISI मार्का सहित)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।

17.	सरसों तेल (ISI मार्का सहित)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
18.	मसाला जीरा/हल्दी/धनिया/लाल मिर्च पावडर/गोल मिर्च	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग-अलग में अंकित होगा।
19.	आलू	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
20.	प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा।
21.	जेनरेटर भाड़े पर	-	प्रतिदिन
22.	जेनरेटर से चलने वाले सभी प्रकार के लाईट	मरकरी, बल्ब,सी0एफ0एल0बल्ब एवं हैलोजेन इत्यादि	प्रतिदिन
23.	वाटर प्रुफ टेन्ट पंडाल	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	प्रतिदिन
24.	खाना बनाने वाला सभी प्रकार का बर्त्तन	-	प्रतिदिन
25.	खाना बनाने का गैस/चुल्हा भटठी	-	प्रतिदिन
26.	धोती	-	प्रति नग
27.	साड़ी	-	प्रति नग
28.	लूंगी	-	प्रति नग
29.	गमछा	-	प्रति नग
30.	गंजी	-	प्रति नग
31.	दरी उत्तम किस्म का	-	प्रति नग
32.	थाली स्टील का	-	प्रति नग
33.	कटोरा स्टील का	-	प्रति नग
34.	चटाई	-	प्रति नग
35.	ग्लास स्टील का	-	प्रति नग

निविदा का आवश्यक शर्तें :-

(1.) निविदा स्वीकृत के पश्चात संबंधित सफल आपूर्त्तिकर्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के अंदर स्वीकृत नमुना के अनुरूप उचित संख्या, साईज गुएवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित् रूप से कर देगें। अन्यथा प्रतिभूर्ति राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाई की जायेगी।

(2.) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलड/मोहर बंद लिफाफे में ली जायेगी। क्रमांक 01 सके निविदा दाता के उधोग विभाग के निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(3.) तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा एवं तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा को ली जायेगी।

(4.) वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।

(5.) स्वीकृत की गई निविदा के निविदा दाता नमुना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेकगें।

(6.) खाद्यान्नय की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्त्ति किये जाने वाले सामाग्रियों की गुणवता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा।

(7.) निविदा के साि अपनी दुकान की अनुज्ञप्ति वाणिज्य कर निबंधित वैट सं0 एवं आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(8.) निविदा के सभी सामग्रियों का दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यकता है।

(9.) निविदा निर्धारण के समय निविदा दाता या उसके प्राधिकृत क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के साथ उपस्थित रहेगे।

(10.) सामाग्रियों की आपुर्त्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

(11.) स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामाग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्त्तिकताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्त्ति की गई सामाग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(12.) स्वीकृत निविदा दाताओं को छोड़कर शेष जमा राशि वापस कर दी जासेगी।

(13.) बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(14.) कोई भी निविदा या दावा मुंगेर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन प्रशाखा मुंगेर जिला से सम्पर्क कर सकतें है।

(15.) आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट/आयकर की कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।

(16.) आपूर्त्ति की गई सामाग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वी0एस0टी0/टी0ओ0पी0 देय होगा जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जोयगी।

(17.) सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायगी।

विस्तृत जानकारी के लिए वेवसाईट पर देखा जा सकता है।

17.6.14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।